सं0-532/XXVIII-5-2005-07/2005

प्रेषक,

अमर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून

चिकित्सा अनुभाग 5

देहरादून: दिनांक : 22 दिसम्बर, 2005

विषय: सा0प्र0स्वा0केन्द्र कनालीछीना तथा बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-79/1/सी0एफ0सी0/94/2003/5588 दिनांक 10.03.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सा0प्र0स्वा0केन्द्र कनालीछीना तथा बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु क्रमशः रू0 1,06,16,000.00(रू0 एक करोड़ छः लाख सोलह हजार मात्र) तथा रू0 1,06,90,000.00 (रू0 एक करोड़ छः लाख नब्बे हजार मात्र) इस प्रकार कुल रू0 2,13,06,000.00 (रू0 दो करोड़ तेरह लाख छः हजार मात्र)की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में संलग्नानुसार रू0 20,00,000.00(रू0 बीस लाख मात्र) तथा रू0 20,00,000.00(रू0 बीस लाख मात्र) में से रू0 30,00,000.00 संगत मद में एवं रू0 10,00,000.00 संलग्न बी0एम0-15 के विवरणानुसार अनुदान अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्यावर्तन द्वारा इस प्रकार कुल रू0 40,00,000.00(रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- [illegible] कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

3- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

4- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड उत्तरांचल तथा परियोजना प्रबन्धक, आर0ई0एस0 उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों से बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों से जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, को स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा ।

7- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

8- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

9- एक मुश्त प्राविधान के कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

10- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

11- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

12- आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यावर्तन न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली [illegible] सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

13 कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण इकाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

14 स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

15 स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया ।

16- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओ / विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

17 निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही, भवन निर्माण किया जाए ।

18 उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

19 उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-आयोजनागत-, 104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 02-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(विस्तार अंश), 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0 15 के कालम 01 मे अंकित मद से वहन किया जायेगा ।

20 यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-232 /xxvii(3)/2005 दिनांक 19.12.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0 532(1)/XXVIII-5-2005-07/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2 निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
4 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।
5 मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ ।
6 क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, उत्तरांचल / परियोजना प्रबन्धक आर0ई0एस0 उत्तरांचल ।
7- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
8 बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
9 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10 आयुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल ।
11 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0 532/XXVIII-5-2005-07/2005 दिनांक 22.12.2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	सा0स्वा0केन्द्र कनालीछीना जनपद पिथौरागढ़ का भवन निर्माण ।	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 उत्तरांचल ।	106.16	20.00
2	सा0स्वा0केन्द्र बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ का भवन निर्माण	आर0ई0एस0 उत्तरांचल ।	106.90	20.00
		योग	213.06	40.00

(रू0 चालीस लाख मात्र)

(अमर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-532/XXVIII-5-2005-07/2005 दिनांक 2005 का संलग्नक

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मूल्य 11

डिमांड - 153 अनुदान संख्या-12

(वित्तीय वर्ष 2005-06)

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

पुनर्विनियोजन का आदेश पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (सम्भावित) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद 2005 में अवशेष धनराशि (4-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत			(क) आवासीय भवनों के अनुरक्षण योजना में आवश्यकता से अधिक प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है।
01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें				03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें,			
110-अस्पताल तथा औषधालय -00				104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,			
14-आवासीय भवनों का अनुरक्षण-00				03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 02-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(विस्तार अंश)			(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण (विस्तार अंश) योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि कम पड़ने से धनराशि की आवश्यकता है।
24-वृहत निर्माण कार्य-100000	-	94851	5149	24-वृहत निर्माण कार्य-1000	13000	90,00	
100000	-	94851	5149	7000	13000	90,00	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

([illegible] सिंह)

NIC-1233

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग
संख्या-232/XXVii(3)/2005
देहरादून: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2005

पुनर्विनियोजन स्वीकृत

एल0एम0पन्त
अपर सचिव

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल(लेखा एवं हकदारी)
ओबराय बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।

सं0-532/XXVIII-5-2005-07/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव